न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
उपस्थित–अनुराग मिश्र,
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय
सोनपुर, सारण।

बंटवारा वाद सं0–60 / 2025

पेज नं0–01 ता 04

1. योगेन्द्र तिवारी वल्द–स्व0 ठाकुर तिवारी।

साकिन– पिड़ारी, पो0–पिड़ारी डीह, थाना– डरेनी, जिला –सारण।

.....वादी।

ब ना म

1. अमरनाथ तिवारी।

2. अक्षयवर नाथ तिवारी।

दोनों पिता–स्व0 महेश तिवारी।

दोनों साकिन– पिड़ारी, पो0–पिड़ारी डीह, थाना– डरेनी, जिला –सारण।

प्रतिवादी फरीक 01

3. हरिहर नाथ तिवारी

4. गोरखनाथ तिवारी।

दोनों पेशरान– स्व0 गणेश तिवारी।

दोनों साकिन– पिड़ारी, पो0–पिड़ारी डीह, थाना– डरेनी, जिला –सारण।

.....प्रतिवादी फरीक 02

वादी के विद्वान अधिवक्ता – श्री राजू रजक।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता – श्री अभिषेक कुमार, श्री मृत्युंजय कुमार।

उपस्थित –अनुराग मिश्र,
अवर न्यायाधीश, द्वितीय
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय
सोनपुर, सारण।
सोनपुर, दिनांक–29.06.2026

न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
उपस्थित–अनुराग मिश्र,
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय
सोनपुर, सारण।

बंटवारा वाद सं0–60/2025

आदेश

प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों की ओर से दाखिल समझौता आवेदन पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत बंटवारा वाद वादी की ओर से दाखिल कर न्यायलय से यह परितोष मांगा है कि इस बंटवारा वाद की सिडियुल नं0 01 की संपत्ति में वादी का 1/3 हिस्सा का अलग तख्ता कायम कर दखल कब्जा करा दिया जाए तथा वाद खर्च वादी को प्रतिवादीगण से दिलवा दिया जाए एवं न्यायालय के नजर में वादी किसी अन्य अनुतोष के हकदार हो, उसे प्राप्त करने हेतु दाखिल किया है।

वाद में विचारण लंबित रहने के दौरान वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से एक सुलहनामा आवेदन दिनांक 02.09.2025 को दाखिल किया गया है। उभय पक्ष की ओर से दाखिल सुलहनामा आवेदन में कथन किया गया है कि वादी वो प्रतिवादीगण के शुभ चिन्तकों एवं सगे संबंधियों द्वारा उभय पक्ष में सुलह समझौता करा दिया गया है तथा फरिकैनों के बीच आपस में बंटवार भी करा दिया गया है। बंटवारे के अनुसार सुलहनामा में दर्ज सिडियुल नं0 01 की संपत्ति वादी योगेन्द्र तिवारी को प्राप्त हुआ है तथा प्रतिवादी फरीक 01 अमर नाथ तिवारी वो अक्षयवर नाथ तिवारी को सिडियुल नं0 02 की भूमि प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी फरीक 02 हरिहर तिवारी वो गोरख तिवारी को सिडियुल नं0 03 की भूमि प्राप्त हुई है। सुलहनामा द्वारा प्राप्त सिडियुल को वाद के एक–दूसरे पक्षकार से कोई सरोकार नहीं है तथा सुलह में वर्णित भूमि के संदर्भ में भविष्य में कोई दावा करते हैं तो वह गलत वो गैर– कानूनी होगा।

न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
उपस्थित–अनुराग मिश्र,
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय
सोनपुर, सारण।

बंटवारा वाद सं0–60/2025

सुलहनामा पर वाद के सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर सुलहनामा में वर्णित तथ्यों को पढ़ वो पढ़वाकर बिना किसी दवाब में अधिवक्ता के समक्ष हस्ताक्षर बनाया गया है। सुलहनामा के आधार पर वाद के पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को समाप्त करने की प्रार्थना न्यायालय से किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि बंटवारा वाद सं0 60/2025 वादी योगेन्द्र तिवारी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल किया गया था। विचारण की कार्यवाही के दौरान ही उभय पक्ष द्वारा दिनांक 02.09.2025 को सुलहनामा आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया है। सुलहनामा आवेदन के आलोक में वादी एवं प्रतिवादीगण का शपथपूर्ण बयान भी न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसमें वाद के सभी पक्षकारों द्वारा सुलहनामा की बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के तरफ से दाखिल सुलहनामा आवेदन पर सिरिस्तेदार ने अपना प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें उनका कथन है कि वाद के वादी द्वारा दाखिल सुलहनामा पर वादी द्वारा दाखिल वादपत्र एवं वकालतनामा पर किया गया हस्ताक्षर को मिलान किया तथा प्रतिवादीगण द्वारा किया गया सुलहनामा पर निशान को प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल वकालतनामा पर किया गया निशान को मिलान किया, जो स्पष्ट रूप से सही पाया गया है। सुलहनामा वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से हस्ताक्षरित, सत्यापित एवं शपथ पत्र से समर्थित है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण का पहचान पत्र वो फोटो भी अभिलेख पर मौजूद है। वाद में विवादित भूमि उभय पक्ष की खतियानी भूमि है तथा

न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
उपस्थित–अनुराग मिश्र,
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय
सोनपुर, सारण।

बंटवारा वाद सं0–60/2025

मौजा–पीड़ारी खाता नं0 02 के खतियान की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श–01, तिरिज या खतियान मौजा–पीड़ारी की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श–1/ए तथा मौजा रामपुर की खतियान की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श–1/बी तथा मौजा–पीड़ारी खाता नं0 26 की खतियान की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श–1/सी एवं लगान रसीद को प्रदर्श–क्रमशः 2 ता 2/एच अंकित कराया गया है।

तद्नुसार, प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच सुलह के आधार पर समाप्त की जाती है। वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच सुलहनामा डिक्री का अंश होगा। कार्यालय लिपिक नियमानुसार डिक्री तैयार करें तथा अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, द्वितीय
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय
सोनपुर, सारण।
दिनांक–29.06.2026